

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/बीपीसी/2003/डी- 363

दिनांक : 07/10/2003

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 56वीं बैठक

दिनांक 30.09.2003 को मध्याह्न 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई।

ए. स.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा	सैक्टर	जोन	निर्णय
1	भूखण्ड संख्या 12 कृष्णा विहार योजना 132 के.वी. से आंशिक प्रभावित के संबंध में।	बाबा आर. एन. गौड़ गृ. नि.स.स.	12 कृष्णा विहार	बड़ी का बास	221	-	11	समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात मामले को मौका निरीक्षण हेतु स्थगित रखा गया।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति ले-आउट प्लान की 56वीं बैठक दिनांक 30.9.03 का कार्यवाही विवरण ।

क्र.सं.	विषय	छातेदार/गृ.नि.सं. समिति का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	उ.नं.	जोन निर्णय	
1.	ओनर्स लेन्ड श्री मोहन पुरोहित पदमावती कालोनी प्रथम बूजलालपुरा गोपालपुरा बाईपास की योजना अनुमोदन के संबंध में ।				5	गोपालपुरा बाईपास के दक्षिण में प्रस्तावित दुकानों के सामने पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध नहीं है इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् इन दुकानों के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।	
2.	जल महल हा.को.सो.लि. की दुर्गा विहार योजना टोंक रोड़ के भू.सं. 1-2 के पीछे की 24 फीट चौड़ी रोड़ की 14 फीट भूमि पुनः भूखण्डों में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति हेतु ।	जल महल हा.को.लि०	दुर्गा विहार		5	समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि गृ.नि.सं.स. द्वारा जारी किये गये आवंटन पत्र व साइट प्लान के अनुसार नियमन किया जावे ।	
3.	निजी छातेदारी	निजी छातेदारी	अम्बेडकर नगर इमली फाटक	गोपालपुरा	42,43	5	विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :- 1- योजना के भू.सं. 15,16 के बीच की सड़क की चौड़ाई 40-0" की जावे ।

			// 3 //			
4.	दी राजहंस को.ओ.सो. लि०	दी राजहंस को.सो. लि०	रूप नगर द्वितीय	गोपालपुरा	176,182, 183,186, 187,193 से 195	5 योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :- 1- सड़को की चौड़ाई बढ़ाने पर आवासीय क्षेत्रफल 68.40% है जब कि आवासीय क्षेत्रफल 60% ही अनुज्ञेय है। मौके पर करीब करीब सभी मकान बने हुए है इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। 2- रूप नगर प्रथम व इस योजना के मध्य की सड़क 40-0" की जावे। 5-0" की भू-पट्टी इस योजना में से ली जावे। 3- अन्दर की सड़को की चौड़ाई 30-0" की जावे। 4- भू.सं. ए-5 से ए-8 के पीछे दशायि भू.सं. 1 से 4 जो इस योजना का भाग नहीं है इसलिए इनको अस्वीकृत किया जावे।
5.	विकास भवन गृ.नि.स.स.	विकास भवन ग.नि.स.स. समिति	मारुति कालोनी	इयोपुर	30,49, 51,50 52,53,54, 55	9 योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :- 1- योजना में दर्शायी दुकानों को अस्वीकृत किया जावे। 2- अन्दर की सड़को की चौड़ाई कम से कम 30-0" की जावे। 3- योजना की भूमि आवासन मण्डल की अवाप्ति में है इसलिए आवासनमण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र आने पर योजना के नियमन की कार्यवाही की जावे।

32

6.	विकास भवन गृ.नि.स. समिति ।	विकास भवन गृ.नि.स. समिति	रविन्द्र नगर मैन व रविन्द्र ॥ ए ॥	टीलावाला	37,38 40,42, 45,95, 97,99, 100,61 41,43, 44	9	योजना को निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग पार्क व सुलाक्षेत्र है इसलिए आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावे । 2- सेक्टर प्लान में दर्शायी 60- 0" चौड़ी सड़क को योजना मानचित्र में प्रस्तावित 60-0" चौड़ी सड़क के अनुसार संशोधन किया जावे।
----	----------------------------	--------------------------	---	----------	---	---	--

## अतिरिक्त विवरण :-

7.	हीरा हा.को.सो. की योजना रूप विहार के संबंध में विकास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 22.7.03 के संबंध में ।	हीरा हा.को.सो.	रूपविहार				विकास समिति के प्रतिवेदन के संबंध में निम्न निर्णय लिये गए :- 1- भू.सं. 81बी रोड़ लिंक हेतु तथा भू.सं. 81सी को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे । 2- इस योजना में जिन भूखण्डों पर बरात घर की Activity - चल रही है उन भूखण्डों का नियमन यह गतिविधियां समाप्त किये जाने तक नहीं किया जावे ।
8.	जल महल हा.को.की योजना राधा कृष्ण नगर के अनुमोदन के संबंध में ।	जल महल हा.को. सोसायटी	राधा कृष्ण नगर				योजना को निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :- 1- हाईटेंशन लाइन को 25-0" की दूरी के पश्चात् भूखण्ड स्वीकृत किया जावे । 2- रेलवे लाइन के केन्द्र बिन्दु से 50फीट तथा इसके पश्चात् 100 फीट चौड़ी सड़क के पश्चात् भूखण्ड स्वीकृत किया जावे । 3- अन्दर की सड़क की चौड़ाई 30 फीट की जावे । 4- भू.सं. 30,31 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।

नित्तिगत निर्णय: - मिटिंग निर्णय के पश्चात् योजना मानचित्र 3 कार्य दिवस में जारी किये जावे ।

- 2- योजना के अन्दर की सड़कों की चौड़ाई स्वीकृत मानचित्र के अनुसार की जावे ।
- 3- मौके पर भवन निर्मित है इसलिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के कारण सामने के स्टै बैंक 10 फीट के बजाय 5-0" रखा जावे ।
- 4- योजना में दर्शायी दुकानों को अस्वीकृत किया जावे ।
- 5-स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शाये पार्क में दर्शाये भूखण्डों को कोर्ट के स्टे के कारण स्थगित किया जावे ।
- 6- योजना में आवासीय क्षेत्रफल सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के पश्चात् 66.37% है । भूमि पर पूरी कालोनी निर्मित है इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।
- 7- योजना में 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि राजकीय है इसलिए स्वीकृति हेतु पत्रावली राज्य सरकार को भिजवायी जावे ।

			// 3 //			
4.	दी राजहंस को.ओ.सो. लि०	दी राजहंस को.सो. लि०	रूप नगर द्वितीय	गोपालपुरा	176,182, 183,186, 187,193 से 195	5 योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :- 1- सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने पर आवासीय क्षेत्रफल 68.40% है जब कि आवासीय क्षेत्रफल 60% ही अनुज्ञेय है। मौके पर करीब करीब सभी मकान बने हुए हैं इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। 2- रूप नगर प्रथम व इस योजना के मध्य की सड़क 40-0" की जावे। 5-0" की भू-पट्टी इस योजना में से ली जावे। 3- अन्दर की सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावे। 4- भू.सं. ए-5 से ए-8 के पीछे दशायी भू.सं. 1 से 4 जो इस योजना का भाग नहीं है इसलिए इनको अस्वीकृत किया जावे।
5.	विकास भवन गृ.नि.स.स.	विकास भवन ग.नि.स.स. समिति	मारुति कालोनी	इयोपुर	30,49, 51,50 52,53,54, 55	9 योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :- 1- योजना में दशायी दुकानों को अस्वीकृत किया जावे। 2- अन्दर की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 30-0" की जावे। 3- योजना की भूमि आवासन मण्डल की अवाप्ति में है इसलिए आवासन मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र आने पर योजना के नियमन की कार्यवाही की जावे।

6.	विकास भवन गृ.नि.स. समिति ।	विकास भवन गृ.नि.स. समिति	रविन्द्र नगर मैन व रविन्द्र १ ए	टीलावाला	37,38 40,42, 45,95, 97,99, 100,61 41,43, 44	9
----	----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------	---	---

योजना को निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-  
1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग पार्क व खुलाक्षेत्र है इसलिए आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जाये।  
2- सेक्टर प्लान में दर्शायी 60-0" चौड़ी सड़क को योजना मानचित्र में प्रस्तावित 60-0" चौड़ी सड़क के अनुसार संशोधन किया जावे।

## अतिरिक्त विवरण :-

7.	हीरा हा.को.सो. की योजना रूप विहार के संबंध में विकास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 22.7.03 के संबंध में।	हीरा हा.को.सो.	रूपविहार
----	--	----------------	----------

विकास समिति के प्रतिवेदन के संबंध में निम्न निर्णय लिये गए :-  
1- भू.सं. 81बी रोड़ लिंक हेतु तथा भू.सं. 81सी को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।  
2- इस योजना में जिन भूखण्डों पर बरात घर की Activity - चल रही है उन भूखण्डों का नियमन यह गतिविधियां समाप्त किये जाने तक नहीं किया जावे।

8.	जल महल हा.को.की योजना राधा कृष्ण नगर के अनुमोदन के संबंध में।	जल महल हा.को. सोसायटी	राधा कृष्ण नगर
----	---	--------------------------	-------------------

योजना को निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-  
1- हाईटेशन लाइन को 25-0" की दूरी के पश्चात् भूखण्ड स्वीकृत किया जावे।  
2- रेलवे लाइन के केन्द्र बिन्दु से 50फीट तथा इसके पश्चात् 100 फीट चौड़ी सड़क के पश्चात् भूखण्ड स्वीकृत किया जावे।  
3- अन्दर की सड़को की चौड़ाई 30 फीट की जावे।  
4- भू.सं. 30,31 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।

नित्तिगत निर्णय:- मिटिंग निर्णय के पश्चात् योजना मानचित्र 3 कार्य दिवस में जारी किये जावे।

भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)की 56वीं बैठक दिनांक 30-09-2003 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई।

उपस्थित निम्न प्रकार थी:-

क्र. स.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	श्रीमती ऊषा शर्मा	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री अशोक तंवर	विधायक	राजस्थान विधान सभा	सदस्य
3.	माननीय श्री राजेन्द्र महावर	सदस्य	जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	श्री अश्विनी भगत	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री एस.सी.महागावंकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री ओ.पी.यादव	अति.आयुक्त पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
7.	श्रीमती शुचि शर्मा	अति.आयुक्त पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
अन्य अधिकारी उपस्थित				
8.	श्री पी. अरविन्द	वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
9.	श्रीमती लवंग शर्मा	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
10.	श्री मुकेश शर्मा	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
11.	श्रीमती नलिनी कटौतिया	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
12.	श्री प्रेम शंकर शर्मा	उप नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
13.	श्री मुकेश मित्तल	उप नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
14.	श्री पी. के. मीणा	उपनिदेशक जनसम्पर्क	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	



सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।